6th & 7th January, 2019

News Juice+

(द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, आदि का दैनिक समाचार सारांश)

PrepMate से जुड़ें

Whatsapp पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए, अपना नाम और शहर Whatsapp नंबर पर भेजें 75978-40000

Telegram पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल @UpscPrepMate से जुड़ें

जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

आप prepmate.in पर भी जा सकते हैं

यहाँ क्लिक करें

PrepMate ऐप डाउनलोड करें

डाउनलोड करने के लिये यहाँ क्लिक करें

सिविल सेवा तैयारी के लिए वीडियो देखने के लिए, YouTube चैनल @PrepmateEdutech पर जाएं और Subscribe करें

Subscribe करने के लिए यहाँ क्लिक करें

1. 'मून लैंडिंग' तथा राष्ट्रों के स्थान (जीएस प्रारंभिक परीक्षा, जीएस मुख्य परीक्षा III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

'मून लैंडिंग' चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यान का आगमन है। इसमें मानवयुक्त और मानव रहित (रोबोट द्वारा) दोनों मिशन शामिल हैं।

पहली लैंडिंग

सोवियत संघ का लूना 2 (Luna 2), 13 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना।

1968 में, नासा के अपोलो 8 ने पृथ्वी पर लौटने से पहले 10 बार चंद्रमा के चक्कर लगाने के साथ, चंद्रमा पर पहली बार मानवयुक्त उड़ान भरी।

'चंद्रमा पर मनुष्य'

20 जुलाई 1969 को, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन "बज़" एल्ड्रिन अपोलो 11 चंद्र लैंडर में चंद्रमा तक पहुंचने वाले पहले लोग बने। आज तक कुल बारह आदमी चंद्रमा पर उतरे हैं।

दौड़ में सबसे आगे यू.एस.

आज तक, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मानवयुक्त मिशन संचालित किया है। इसने अपोलो कार्यक्रम के हिस्से के रूप में छह बार ऐसा किया, दिसंबर 1972 में आखिरी बार ऐसा किया गया था। यह 2020 तक चंद्रमा पर एक मानवयुक्त मिशन भेजने की योजना बना रहा है तथा उसे मंगल और उसके आगे मानव उड़ान के लिए एक आधार के रूप में उपयोग करना चाहता है।

ऐसा करने वाले अन्य राष्ट्र

अमेरिका और सोवियत संघ के अलावा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, भारत और चीन द्वारा चंद्रमा मिशन का संचालन किया गया है।

चंद्रयान -1 भारत का पहला चंद्र प्रोब था। यह मानव रहित मिशन अक्टूबर 2008 में शुरू किया गया था और अगस्त 2009 तक संचालित किया गया था। भारत ने 2022 तक चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसे गगनयान मिशन नाम से जाना जाएगा। चीन भी चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

2. उपेक्षित, प्रताड़ित: बाल देखभाल संस्थानों की स्थिति के बारे में (जीएस प्रारंभिक परीक्षा, जीएस मुख्य परीक्षा। के लिए प्रासंगिक; सामाजिक मुद्दे)

केंद्र सरकार की समिति द्वारा बाल देखभाल संस्थानों की चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है। इसमें 9,589 बाल देखभाल संस्थानों और घरों का अध्ययन किया गया, जो ज्यादातर गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हैं, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत आते हैं। समिति ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह में निवासियों के यौन शोषण के खुलासे के बाद अध्ययन शुरू किया था।

समिति द्वारा विष्कर्ष परिणाम

हाल ही में सामने आए अध्ययन के अनुसार, केवल 32% बाल देखभाल संस्थानों या घरों को 2016 तक जेजे एक्ट (Juvenile Justice Act) के तहत पंजीकृत किया गया था, जबकि एक बराबर संख्या अपंजीकृत थे, और बाकी या तो अन्य योजनाओं के तहत सम्मिलित थे या पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्राथमिकतामानकों और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, वित्तीय प्रथाओं और बाहरी ऑडिट के लिए सामान्य मानदंडों को विकसित करने पर देनी चाहिए।

पैनल ने पाया कि कई संस्थानों में बच्चों की देखभाल के लिए मानक बहुत खराब थे, बिना उचित बिस्तर, भोजन और पोषण तथा स्वच्छता के। कुछ राज्यों में स्पष्ट रूप से बहुत कम घर हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में कुल मिलाकर 43.5% शरणस्थान हैं। कुछ राज्यों के पास हर श्रेणी का एक घर भी नहीं है, जैसे कि बच्चे की देखभाल, अवलोकन और गोद लेना। मंत्रालय का अध्ययन नागरिक समाज और बच्चों के लिए कल्याण प्रणाली के बीच के अंतर को, और चुने हुए प्रतिनिधियों के ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति अपर्याप्त वचनबद्धता को प्रत्यक्ष रुप से दर्शाता है।

अधिकांश निवासी अनाथ, परित्यक्त, यौन रूप से प्रताड़ित, तस्करी या आपदाओं और संघर्ष के शिकार होते हैं। उनमें से 7,422 बच्चे कानून के साथ विवाद में हैं, और 1,70,375 लड़कियों सहित 3,70,227 बच्चे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत में हैं। उन्हें अक्सर ऐसी स्थितियों में रहना पड़ता है जहां शौचालयों की सुविधा तक नहीं होती तथा शोषक स्थितियां मौजूद होती हैं।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

इस निराशाजनक प्रणाली का सुधार केवल राज्य सरकारों द्वारा व्यवस्थित जांच के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह विशेष अधिकारियों को नियुक्त करके किया जा सकता है, जिनका कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी संस्थान जेजे अधिनियम के तहत पंजीकृत हों, प्रत्येक को प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा हो, और गोद लेने के दौरान अनिवार्य बाल संरक्षण नीतियों को लागू किया जा रहा हो।

अब कार्रवाई के लिए मंत्रालय की समिति के निष्कर्षों को एक रूपरेखा में बदलना अनिवार्य है। अधिकारियों के उत्तरदायित्व को निश्चित करते हुए प्रमाणित एनजीओ को इस प्रयास में अधिक रुचि लेनी चाहिए।

(द हिंदू से रूपांतरित)

3. **डेटा संरक्षण कानून को अंतिम रूप दिया गया (जीएस प्रारंभिक परीक्षा, जीएस मुख्य परीक्षा ॥ के लिए प्रासंगिक; शासन व्यवस्था और प्रणाली)**

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि सरकार ने डेटा संरक्षण कानून को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।

श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब, गूगल और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में थी।

1. बिल का मसौदा, जो पिछले साल जारी किया गया था, ने प्रस्तावित किया था कि भारतीय नागरिकों के महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को देश के भीतर स्थित केंद्रों में संसाधित किया जाएगा।
2. इसने डेटा प्रोटेक्शन कानून के उल्लंघन के लिए डेटा प्रोसेसर के लिए वित्तीय दंड का भी प्रस्ताव किया था।

(द हिंदू से रूपांतरित)

4. **चक्रवात पाबुक अंडमान की ओर बढ़ता हुआ (जीएस प्रारंभिक परीक्षा, जीएस मुख्य परीक्षा ।के लिए प्रासंगिक; भूगोल)**

पाबुक की उत्पत्ति थाईलैंड की खाड़ी में हुई, तथा यह 10 किमी प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और थाईलैंड और पड़ोस के देशों पर केंद्रित हो गया। इस तूफान के 8 जनवरी तक अंडमान सागर तक पहुंचने और बंगाल की दक्षिण-पूर्वी खाड़ी से सटे रहने की उम्मीद है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones)
उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक कम दबाव क्षेत्र या वातावरण में उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय पानी पर एक तीव्र भंवर (whirl) है। एक चक्रवात तूफान में, केंद्र सेदबाव बाहर की तरफ बढ़ता है। जिस दर पर दबाव बढ़ता है, वह चक्रवात की ताकत को निर्धारित करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, निम्न दबाव प्रणालियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- 31 किमी/घंटा और 61 किमी/घंटा के बीच गति की निरंतर हवाओं को उष्णकटिबंधीय अवसाद (tropical depressions) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 62 किमी / घंटा और 88 किमी / घंटा के बीच हवा की गति को उष्णकटिबंधीय चक्रवात (tropical cyclone) कहा जाता है। एक बार हवाएं इतनी गति प्राप्त कर लेती हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को एक नाम दिया जाता है।
- जब हवा की गति 89 और 118 किमी / घंटा के बीच होती है, तो इसे गंभीर चक्रवात तूफान (severe cyclonic storm) कहा जाता है।
- जब हवा की गति 119 और 221 किमी / घंटा के बीच होती है, तो इसे अत्यंत गंभीर चक्रवात तूफान (very severe cyclonic storm) कहा जाता है।
- जब हवा की गति 221 किमी / घंटा से अधिक हो जाती है, चक्रवात को सुपर चक्रवात तूफान (super cyclonic storm) कहा जाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण (Naming of tropical cyclones**)**

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण आम जनता और मौसम विशेषज्ञों के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में स्पष्ट संचार सक्षम करता है। इसके अलावा, यदि एक ही समय में दो या दो से अधिक चक्रवात एक ही क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो नामकरण किसी विशेष चक्रवात की पहचान में मदद कर सकता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ क्षेत्रों में अपनाया गया था। 1960 के दशक के मध्य तक, उत्तर हिंद महासागर को छोड़कर सभी क्षेत्रों ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामों का उपयोग शुरू किया। 2003 में, उत्तर हिंद महासागर ने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण करने का अभ्यास शुरू किया।

विभिन्न क्षेत्रीय संगठन सदस्य देशों के सुझाव पर नामों की पूर्व निर्धारित सूची तैयार करते हैं। इन नामों का अनुक्रमिक क्रम में उपयोग किया जाता है।

5. पहली बार, माल्या को एक 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया गया (जीएस प्रारंभिक परीक्षा, जीएस मुख्य परीक्षा III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

फरार शराब कारोबारी विजय माल्या भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए, Fugitive Economic Offenders Act (FEOA)) के तहत विशेष अदालत की सुनवाई में भगोड़ा आर्थिक अपराधी (fugitive economic offender) घोषित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन है?

1. एफईओए, जो 31 जुलाई, 2018 को एक कानून बन गया, एक व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद और अपराधों का मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक होने की स्थिति में अपराधी घोषित करने की अनुमति देता है।
2. किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की एक और शर्त है, जब व्यक्ति अभियोजन का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार करता है।

घोषणा पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं?

नए कानून के अनुसार, एक विशेष एफईओए अदालत एक एफईओ की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे सकती है, जिसमें भारत में और उसके बाहर बेनामी और अपराध द्वारा अर्जित आय शामिल हैं। एक बार संपत्तियों को जब्त कर लेने के बाद, उन पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, और यह 90 दिनों के बाद उनका निपटान कर सकती है।

(द हिंदू से रूपांतरण)

6. रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स (जीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स को पत्रकारिता के उच्चतम मानकों की मान्यता के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

18 श्रेणियों में 29 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं - प्रिंट, प्रसारण और विशुद्ध रूप से डिजिटल क्षेत्र में - उत्कृष्ट कार्य के लिए। द एक्सप्रेस ग्रुप ने अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका के शताब्दी वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में 2005 में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स की स्थापना की। पुरस्कारों का उद्देश्य पत्रकारिता में उत्कृष्टता का जश्न मनाना, साहस और प्रतिबद्धता को पहचानना और देश भर के पत्रकारों के उत्कृष्ट योगदान को प्रदर्शित करना है।

नोट: विजेताओं की सूची परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है।

(द इंडियन एक्सप्रेस से रूपांतरित)

Prepmate - Cengage UPSC Book Series

श्रृंखला के बारे में

एक पुस्तक में एक विषय का पूरा पाठ्यक्रम विस्तार

अवधारणाओं को समझाने के लिए प्रवाह संचित्र, मानचित्र और आरेखों का उपयोग

पिछली प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का अध्यायवार विस्तृत समाधान

विस्तृत समाधान के साथ अभ्यास प्रश्न

मुख्य परीक्षा उत्तर लिखने के लिए एक पूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण

लेखकों द्वारा यूपीएससी प्रमुख परीक्षा के उत्तर

पुस्तकों के साथ वीडियो का भंडार

पुस्तकों के साथ वीडियो का भंडार